जनसम्पर्क कार्यालय: एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

समाचार

बिजली कंपनियों पर जीएसटी के प्रभाव पर सेमीनार आयोजित

पूर्व टैक्स की तुलना में जीएसटी अधिक सरल, कुशल और पारदर्शी

जबलपुर, 26 मई। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में आज तरंग प्रेक्षागृह में प्रदेश की विद्युत कंपनियों पर गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) के प्रभाव पर केन्द्रित सेमीनार 'मंथन' आयोजित किया गया। एक दिवसीय सेमीनार के उद्घाटन के अवसर पर एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल, कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टेक्स श्री प्रमोद अग्रवाल, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ए. पी. भैरवे एवं मध्यप्रदेश कॉमर्शियल टैक्स विभाग जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर श्री नारायण मिश्रा उपस्थित थे। सेमीनार में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व, मध्य व पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लगभग 300 अभियंताओं एवं अकाउंट व फायनेंस निकाय के अधिकारियों ने भाग लिया।

सेमीनार में सेंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर डा. दिनेश बिसेन, असिस्टेंट कमिश्नर श्री आर. के. विद्यार्थी, श्री एन. एस. चौहान, श्री महेश कुमार, कॉमर्शियल टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर श्री ओ.पी. वर्मा, श्री प्रदीप दुबे एवं असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती आभा जैन द्वारा जीएसटी विषय पर पावर पाइंट प्रेजेंटटेशन दिया गया।

जीएसटी के लिए अभी से तैयारी की जरूरत-एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि हवा व पानी के पश्चात् बिजली वर्तमान में महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। इस मुद्दे को ध्यान में रख कर गुड्स एवं सर्विस टेक्स (जीएसटी) के संबंध में बिजली कंपनियों के अभियंताओं व अकाउंट-फायनेंस विभाग के अधिकारियों को जानकारी प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने के पश्चात् बिजली परियोजनाओं की लागत व बिजली दरों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और उसके लिए अभी से तैयारियां करना आवश्यक हो गया है। श्री शुक्ल ने कहा कि बिजली ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के कार्यों में मटेरियल कॉस्ट 60 से 70 प्रतिशत तक रहती है, इसलिए जीएसटी के लागू होने के पश्चात् मटेरियल कॉस्ट भी किसी न किसी रूप में प्रभावित होगी।

जीएसटी एक देश-एक टैक्स का संदेश है-कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टेक्स श्री प्रमोद अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि जीएसटी से संदेश मिलता है कि एक देश एक टैक्स। उन्होंने कहा कि जीएसटी, पूर्व कर व्यवस्था की तुलना में सरल, कुशल व पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में पूरे एक नेटवर्क पर पूरा सिस्ट्म संचालित होगा और इसमें केन्द्र व राज्य एक नेटवर्क में शामिल होंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में तकनीकी व पारदर्शिता का उपयोग किया जाएगा।

सेमीनार में 80 से अधिक प्रश्न पूछे गए-मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ए. पी. भैरवे ने जीएसटी सेमीनार की प्रासंगकिता पर रोशनी डालते हुए कहा कि आर्थिक विकास में बिजली सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है और जीएसटी के लागू होने से इस सेक्टर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सेमीनार के आयोजन को आवश्यक बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की छहों बिजली कंपनियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सेमीनार में विशेषज्ञों के समक्ष जीएसटी से संबंधित 80 से अधिक प्रश्न उठाए गए हैं।

वर्तमान में बिजली जीएसटी से बाहर-कॉमर्शियल टैक्स विभाग जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर श्री नारायण मिश्रा ने जीएसटी के संबंध में स्पष्ट करते हुए जानकारी दी कि जीएसटी में वस्तुओं व सेवाओं पर टेक्स लगेगा। उनहोंने कहा कि वर्तमान में बिजली को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

सेमीनार में अतिथियों का स्वागत पावर जनेरटिंग कंपनी के डायरेक्टर श्री ए. के. टेलर, श्री मंजीत सिंह, कार्यपालक निदेशक श्री ए. के. संकुले, श्री डी. एन. राम, मुख्य अभियंता श्री एच. एस. नामदेव, श्री मुकुल ब्यौत्रा, श्री एम. एन. श्रीवास्तव, चीफ फायनेंस ऑफिसर श्री स्वप्नजा ओखदे ने किया। काय्रक्रम का संचालन पुष्पलता कुमारी ने और आभार प्रदर्शन श्री ए. के. टेलर ने किया।

समाचार क्रमांक:243/2017

(राकेश पाठक)
वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी